न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
25 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	05.04.2021	13.08.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छुट्टन लाल शर्मा मैनेजर/विक्रेता मैसर्स खाण्डल स्वीट्स एण्ट नमकीन भण्डार डिग्गी नुक्कड, डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी पावर हाउस के पास एल.एन.टी. रोड डिग्गी नुक्कड, डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज.
2–श्री छुट्टन लाल शर्मा एफ.बी.ओ. विक्रेता मैसर्स खाण्डल स्वीट्स एण्ट नमकीन भण्डार डिग्गी नुक्कड, डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी पावर हाउस के पास एल.एन.टी. रोड डिग्गी नुक्कड, डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज.
3–श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन प्रोपरायटर मैसर्स अतुल ट्रेडर्स सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक निवारी रेती मोहल्ला मेदवारिया भवन मालपुरा जिला टोंक
4–श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री स्व. श्री प्यार चन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज जीआई–111, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक राज. निवासी विकास ट्रेडर्स के उपर पांच बत्ती टोंक राज.

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–**निर्णय**–: **दिनांक 13.08.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.11.2020 को समय 11.41 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स खाण्डल स्वीट्स एण्ट नमकीन भण्डार डिग्गी नुक्कड, डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छुट्टन लाल शर्मा मैनेजर/विक्रेता मैसर्स खाण्डल स्वीट्स एण्ट नमकीन भण्डार डिग्गी नुक्कड, डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी पावर हाउस के पास एल.एन.टी. रोड डिग्गी नुक्कड, डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज.खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मैनेजर होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर कर उक्त फर्म का प्रोपरायटर श्री छुट्टन लाल शर्मा को होना बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

1222

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे कच्ची घाणी सरसों तेल सुदामा ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Sudama Brand) जिसके बैच नं. एंव पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री दिनेश कुमार शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता दिनेश कुमार शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 455–455 ग्राम के 8 नग कच्ची घाणी सरसों तेल सुदामा ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Sudama Brand)रखे हुये मे से 455–455 ग्राम के 4 नग बोतल पैक कुल 1820 ग्राम को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री दिनेश कुमार शर्मा को रू0 280/–अक्षरे दौ सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा कच्ची घाणी सरसों तेल सुदामा ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Sudama Brand) 455–455 ग्राम के 4 नग बोतल पैक ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड को लेकर 4 नग बोतल पैक मे से 455–455 ग्राम के एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी. ओ.कोड एवं क्रमांक I–2591 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2591 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. दिनेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री दिनेश कुमार शर्मा ने मौके पर कच्ची घाणी सरसों तेल सुदामा ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Sudama Brand) बतौर वारन्टी मैसर्स अतुल ट्रेडर्स सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक का बिल/इन्वॉइस नं. 9736 दिनांक 22.11.2020 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स अतुल ट्रेडर्स सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक से पत्राचार करने पर बतौर वारन्टी मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज जीआई–111, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक का बिल/इन्वॉइस नं. एमआईटी 242 दिनाक 21.11.2020 की छायाप्रति प्रेषित की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

1223

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4324 दिनांक 17.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2267/एक्ट/2020/2143 दिनांक 09.12.2020 अनुसार दिनेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया कच्ची घाणी सरसों तेल सुदामा ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Sudama Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का कच्ची घाणी सरसों तेल सुदामा ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Sudama Brand) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस कच्ची घाणी सरसों तेल सुदामा ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Sudama Brand) का विकय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया कच्ची घाणी सरसों तेल सुदामा ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Sudama Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छुट्टन लाल शर्मा मैनेजर/विकेता मैसर्स खाण्डल स्वीट्स एण्ट नमकीन भण्डार डिग्गी नुक्कड, डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी पावर हाउस के पास एल.एन.टी. रोड डिग्गी नुक्कड, डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज. पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री छुट्टन लाल शर्मा एफ.बी.ओ. विकेता मैसर्स खाण्डल स्वीट्स एण्ट नमकीन भण्डार डिग्गी नुक्कड, डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी पावर हाउस के पास एल.एन.टी. रोड डिग्गी नुक्कड, डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

राज.पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन प्रोपरायटर मैसर्स अतुल ट्रेडर्स सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक निवासी रेती मोहल्ला मेदवासिया भवन मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री स्व. श्री प्यार चन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज जीआई–111, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक राज. निवासी विकास ट्रेडर्स के उपर पांच बत्ती टोंक राज.पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

13.8.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

1225

Scanned by CamScanner